

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म०प्र० भोपाल

क्रमांक/मु.व.सं./३०/निस्तार/५९१

भोपाल दिनांक २५-१-१९९४

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय:- डिपोज में निस्तारी वन उपज के शेष बचे वनउपज के निर्वर्तन के संबंध में ।

----०----

विषयांकित प्रकरण के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ डिपों में ३० जून को शेष बचे निस्तारी वन उपज के निर्वर्तन के संबंध में जो पूर्व में आदेश दिये गये थे उसे निरस्त मान कर निम्न निर्देश का पालन किया जावे:-

- १/ वर्तमान में जो निस्तारी वनोपज शेष बचती है उन्हें (लगभग १० प्रतिशत रोक) अन्यत्र डिपों में न ले जाते हुये उसी निस्तारी/उपभोक्ता डिपों में स्थानीय नीलाम द्वारा निर्वर्तन करेंगे । शेष बची वन उपज का नीलामी द्वारा निर्वर्तन वन मंडलाधिकारी अपने सक्षमता से करेंगे ।
- २/ कृपया ध्यान रखें कि डिपों निस्तारी वनउपज शेष न रहे । निर्वर्तन के उपरात्न डिपों में बचत शून्य होना चाहिये।
- ३/ निस्तार उपभोक्ता डिपों में अच्छी लकड़ी रखी जावे ।
- ४/ प्रत्येक माह में सहायक वन संरक्षक से इसका सत्यापन कराया जावे तथा ६ माह में वनाधिकारी (वनमंडलाधिकारी) से इसका सत्यापन कराया जाकर अपने माध्यम से प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजें ।

हस्ता.

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र० भोपाल

पृ.क्रमांक/मु०व०सं०/३०/निस्तार/५९२

भोपाल दिनांक २५-१-१९९४

प्रतिलिपि:-

समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित । दिये गये निर्देश का पालन करते हुये वन संरक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन भेजें ।

हस्ता.

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र० भोपाल